भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
दिनांक 28 मई 2025 को अपराह्न 03:00 बजे
अभिषद कक्ष में आयोजित
सीनेट की 233वीं बैठक के कार्यवृत्त

सीनेट की 233वीं बैठक दिनांक 28 मई 2025 को अपराह्न 03:00 बजे अभिषद कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के नाम **परिशिष्ट– 'ए'** में दिए गए हैं। गणपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण बैठक अपराह्न 3:05 बजे स्थगित की गई तथा अपराह्न 3:10 बजे पुनः आरंभ की गई।

बैठक के आरम्भ में, अध्यक्ष, सीनेट ने निवर्तमान सदस्यों/आमंत्रितों का उनके मूल्यवान योगदान के लिए आभार प्रकट किया तथा सीनेट के नए सदस्यों/आमंत्रितों का स्वागत किया। निवर्तमान एवं नए सदस्यों/ आमंत्रितों की सूची **परिशिष्ट– 'बी'** में दी गई है।

मद संख्या 1: सीनेट की 232वीं बैठक (दिनांक 26 मार्च 2025),(ख) सीनेट की विशेष बैठक (दिनांक 9 अप्रैल 2025),(ग) सीनेट की विशेष बैठक (दिनांक 23 अप्रैल 2025) तथा (घ) सीनेट की विशेष बैठक (दिनांक 9 मई 2025) के कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई।

(क) 26 मार्च 2025 को आयोजित, सीनेट की 232वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 1, बिंदु 1 में निम्नलिखित परिवर्तन के साथ पुष्टि की गई:

"1. एच.यू. बास्केट में एच.यू.एस.एस. विभाग के पाठ्यक्रम होंगे, जबकि एस.एस.डब्ल्यू बास्केट में एच.यू.एस.एस, डी.एम.एस, एस.ओ.पी.पी, सी.आर.डी.टी, डिज़ाइन तथा एन.आर.सी.वी.ई.ई द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम शामिल किये जा सकते हैं। एस.एस.डब्ल्यू बास्केट के अंतर्गत पाठ्यक्रम (सीमित नहीं होते हुए) सार्वजनिक नीति, ग्रामीण विकास, प्रबंधन, डिज़ाइन, मूल्य शिक्षा तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों से होंगे।

यह निर्णय भी लिया गया कि सभी बी.टेक/ ड्यूअल प्रोग्राम्स में 'ई एंड एस कम्पोनेंट्स' की समीक्षा हेतु गठित समिति, ई एंड एस कम्पोनेंट्स के कार्यान्वयन पर विचार करेगी।

(ख) दिनांक 9 अप्रैल 2025 को आयोजित सीनेट की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

(ग) दिनांक 23 अप्रैल 2025 को आयोजित सीनेट की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मामूली परिवर्तनों के साथ की गई जिन्हें 16.05.2025 को परिचालित किया गया ।

(घ) दिनांक 9 मई 2025 को आयोजित सीनेट की विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: सीनेट की पूर्व बैठकों से संबंधित कृत कार्रवाई रिपोर्ट

सीनेट की पूर्व बैठकों से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर की गई कार्रवाई बैठक में प्रस्तुत की गई:

1. **जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु समिति की संस्तुति पर विचार करना।**
   सूचित किया गया कि यह विषय विचाराधीन है।

2. नए पाठ्यक्रम के लिए अवधारणा नोट पर विचार एवं चर्चा करना।

सूचित किया गया कि नया पाठ्यक्रम संस्थान में बी.टेक, एम.टेक एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

3. डिप्लोमा प्रदान किए जाने के पश्चात अध्ययन जारी रखने का अनुरोध।

सूचित किया गया कि यह विषय विचाराधीन है।

4. चार-वर्षीय बी.एस. डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए भारतीय संस्थानों में शोध कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंडों में संशोधन के संबंध में शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना।

सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव को टिप्पणियां/ प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक इकाइयों को भेजा गया था। सीनेट ने यह पाया कि प्राप्त टिप्पणियां सकारात्मक रही हैं। चर्चा के उपरांत, सीनेट ने यह निर्णय लिया कि आई.आई.टी. दिल्ली में पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु चार-वर्षीय बी.एस. डिग्री को पात्रता के रूप में स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि वह चार-वर्षीय बी.एस. प्रोग्राम (इन-पर्सन) हो।

संकल्प सं. 2025/233/1:	संकल्प लिया गया कि आई.आई.टी. दिल्ली में पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु चार-वर्षीय बी.एस. डिग्री (इन-पर्सन) को पात्रता के रूप में स्वीकार करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाए।

5. यू.जी.सी.आई.सी. की संस्तुतियों पर विचार करना।

सूचित किया गया कि सभी बी.टेक./ड्यूअल कार्यक्रमों में ई एंड एस कम्पोनेंट्स की जाँच हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

6. नए पाठ्यक्रम के अनुसार शेष एम.टेक. तथा एम.एस.(आर) प्रोग्राम टेम्पलेट्स पर विचार करना।

सूचित किया गया कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार शेष एम.टेक. तथा एम.एस.(आर) प्रोग्राम टेम्पलेट्स को सीनेट की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

मद संख्या 3: यू.जी.सी.आई.सी. द्वारा अनुमोदित प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स एवं पाठ्यक्रम संरचना पर विचार करना।

सीनेट ने विभिन्न यू.जी. कार्यक्रमों के लिए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर चर्चा की। निम्नलिखित पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स को अनुमोदित किया गया:

1. सीओएल 1000 (सीओएल 100 पाठ्यक्रम का रिफ्रेश)
2. पीवाईपी 1000 (पीवाईपी 100 पाठ्यक्रम का रिफ्रेश)
3. ईएलएल 1001 (ईएलएल 202 पाठ्यक्रम का रिफ्रेश)
4. एमएलएल 1001 (एमएलएल 100 पाठ्यक्रम का रिफ्रेश)
5. ईएसएल 1000 (ईएसएल 100 पाठ्यक्रम का रिफ्रेश)
6. एमटीएल 1080 (एमटीएल 180 पाठ्यक्रम का रिफ्रेश)
7. टीएक्सएल 1101 (टीएक्सएल 211 पाठ्यक्रम का रिफ्रेश)
8. सीवाईएल 1033 (नया पाठ्यक्रम): कुछ परिवर्तन सुझाए गए, जिन्हें यू.जी.सी.आई.सी. द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

सीनेट ने **परिशिष्ट-1** में दिए गए प्रथम वर्ष की कार्यक्रम संरचनाओं को भी अनुमोदित किया।

मद संख्या 4: डिज़ाइन में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए 'ड्राफ्ट पाठ्यक्रम अवधारणा नोट' पर चर्चा करना।

प्रो.सुबीर डे, डिज़ाइन विभाग ने डिज़ाइन में स्नातक कार्यक्रम के लिए 'ड्राफ्ट पाठ्यक्रम अवधारणा नोट' प्रस्तुत किया तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया।

अवधारणा नोट पर विस्तृत चर्चा की गई। सदस्यों से विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने, ए.आई. जैसे क्षेत्रों में पाठ्यक्रम रखने की संभावना आदि संबंधी सुझाव प्राप्त हुए। विस्तृत चर्चा के उपरांत, डिज़ाइन में स्नातक कार्यक्रम के लिए अवधारणा नोट को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) तथा यू.जी.सी.आई.सी. को कार्यक्रम टेम्पलेट्स एवं पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स/ पाठ्यक्रम संख्याओं में आवश्यक परिवर्तनों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया।

प्रो.सब्यसाची पालदास, डिज़ाइन विभाग ने डिज़ाइन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए ड्राफ्ट पाठ्यक्रम अवधारणा नोट प्रस्तुत किया तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया।

अवधारणा नोट पर विस्तृत चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के उपरांत, सीनेट ने डिज़ाइन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम अवधारणा नोट को, कार्यक्रम टेम्पलेट्स तथा पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स/पाठ्यक्रम संख्याओं में मामूली परिवर्तन (यदि कोई हो) की संभावनाओं के साथ, जिसे पीजीसीआईसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5: नेवल कंस्ट्रक्शन में पी.जी. डिप्लोमा के ड्राफ्ट कार्यक्रम टेम्पलेट के बारे में चर्चा करना।

नेवल कंस्ट्रक्शन में पी.जी. डिप्लोमा का ड्राफ्ट कार्यक्रम टेम्पलेट प्रस्तुत किया गया। इस विषय में विस्तृत चर्चा के उपरांत सदस्यों से विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने, ए.आई. जैसे क्षेत्रों में पाठ्यक्रम रखने की संभावना आदि संबंधी सुझाव प्राप्त हुए।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, नेवल कंस्ट्रक्शन में पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम का टेम्पलेट (**परिशिष्ट 2**) सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। सीनेट ने अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग एवं एन.सी.डब्ल्यू. को कार्यक्रम टेम्पलेट तथा पाठ्यक्रम टेम्पलेट/ पाठ्यक्रम संख्याओं में आवश्यक परिवर्तन हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 6: रिपोर्टिंग मद

(i) एमई1 एवं एमई2 कार्यक्रमों के स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के लिए 700/800 स्तर के पाठ्यक्रमों को डिपार्टमेंट एलेक्टिव के रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में।

सीनेट ने प्रत्येक समूह द्वारा जुलाई 2025 से प्रारंभ होने वाले अगले सेमेस्टर से प्रस्तुत किए जाने वाले सभी 700/800 स्तर के पाठ्यक्रमों (**परिशिष्ट 3**) को एमई 1 एवं एमई 2 कार्यक्रमों के स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के लिए डिपार्टमेंट एलेक्टिव के रूप में और वर्तमान सेमेस्टर में प्रस्तुत किए जा रहे पाठ्यक्रम एमसीवी390ए, एमसीएल775 तथा एमसीएल758 को भी एमई1 एवं एमई2 स्नातकपूर्व विद्यार्थियों के लिए डिपार्टमेंट एलेक्टिव के रूप में माने जाने के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के प्रस्ताव के संबंध में संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) द्वारा प्रदत्त अनुमोदन को नोट किया।

मदसंख्या 7: अनुसमर्थन मद

(i) पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में एम.टेक. एवं एमएस (आर) कार्यक्रमों के नाम में संशोधन के संबंध में।

सीनेट ने पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में एम.टेक. एवं एम.एस. (आर) कार्यक्रमों के नाम में निम्नानुसार नामावली संशोधन के संबंध में अध्यक्ष, सीनेट द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की पुष्टि की:

पदार्थ इंजीनियरी में एम.एस. (आर)

पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी में एम.टेक.

तदनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से एम.टेक. एवं एमएस (आर) कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपर्युक्त नामावली के अनुसार डिग्री प्रदान की जाएगी।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अतुल व्यास
कुलसचिव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
हौज़ खास, नई दिल्ली – 110016

No. IITD/AREG/Senate/233/2025/412517 दिनांक: 11.06.2025

कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि [233वीं बैठक दिनांक 28 मई 2025], सीनेट के सभी सदस्यों की जानकारी और रिकॉर्ड हेतु भेजी जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, यथाशीघ्र भेजें।

यदि 16.06.2025 तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त को अनुमोदित करते हैं।

अतुल व्यास
कुलसचिव

प्रति:
सीनेट के सभी सदस्य / विशेष आमंत्रित